उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No H 90664 /C-2/NGT-07/2023 दिनाँक / Date 17-03-2023

To,

**The Registrar,**
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.
E-mail - judicial-ngt@gov.in

**Subject: Submission of Joint Committee report in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 04.01.2023 in O.A. No. 791/2022 Dr. Sanjay Singh & Ors. Vs State of U.P.**

Sir,

In compliance of Hon'ble NGT order dated 04.01.2023 in the matter of O.A. No. 791/2022 Dr. Sanjay Singh & Ors. Vs State of U.P., the report of Joint Committee is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid report of Joint Committee may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours faithfully,

Encl: As above.

**(Rajendra Singh)**
Chief Environmental Officer
Circle-2

# REPORT
# PLACED BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL (NGT), NEW DELHI
# O.A. No. 791/2022

*In the matter of Dr. Sanjay Singh & Ors. Vs State of U.P.*

That the Hon'ble NGT has passed order on dated 04.01.2023 in the matter of O.A. No. 791/2022 Dr. Sanjay Singh & Ors. Vs State of U.P. The order passed by Hon'ble NGT is reproduced below:-

1. *This original application under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered on a letter petition sent by various persons of Sonebhadra making a general grievance that on account of stone blast mining activities, the residents of Billi Markundi, Sector 9, Obra, Sonbhadra are adversely affected as their houses are being damaged.*
2. *Before taking any further action in the matter, in our view, we find it appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Sonbhadra who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual and action taken, if any, report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*
3. *District Magistrate, Sonbhadra will be nodal agency for coordination and compliance.*
4. *List for further consideration on 21.03.2023.*

5. *A copy of this order, alongwith copy of complaint, be forwarded to State PCB and District Magistrate, Sonbhadra by e-mail for compliance.*

That it is submitted that in compliance of order passed by Hon'ble NGT on dated 04.01.2023, the following joint committee was constituted :-

## Nominated Members

i. Shri Sahdev Kumar Mishra, Additional District Magistrate (F/R), representative of District Magistrate, Sonbhadra.
ii. Dr. S.C. Shukla, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Sonbhadra representative of U.P. Pollution Control Board.

## Observations

The Joint committee conducted field visit on 14.03.2023. As per facts found during the field visit and documentary evidences available in the record, the report is as follows :-

1. At the time of inspection, committee has observed that Shriram Nagar Colony, Sector-9, Obra, District-Sonbhadra is situated at a distance of about 200 meter away from operational stone mine project M/s Yatharth Enterprises, Proprietor/lease holder Shri Alok Kumar Sahay S/o Late Shrinath Sahay R/o House no. 4/115, VIP Road Obra, District-Sonbhadra.

2. M/s Yatharth Enterprises stone mining project is operating at Gata no. 5436, 5465, 5466, 5467Ka, 5552 Kha (Leased area 7.56 acres), Village-Billi Markundi, Tehsil-Robertsganj, District-Sonbhadra. copy of Lease deed is annexed herewith and marked as **Annexure No.-1**.

3. Dr. Sanjay Singh complainant was present during inspection at site. He has informed that due to uncontrolled stone blasting activity by M/s Yatharth Enterprises residents of Shriram Nagar Colony, Sector-9, Obra, Sonbhadra are adversely affecting their houses but during inspection adversely affected houses could not be verified. The photographs are as below :

4. Shri Kalluram S/o Late Sahdeo Ram and Shri Pran Singh S/o Late Dharmjeet Singh residents of Shriram Nagar Colony, Sector-9, Obra has reported during inspection that our houses are safe and not damaged due to stone blasting and not facing problem due to blasting activity.

5. Complainant Dr. Sanjay Singh has suggested that if project proponent adopt controlled blasting technique, develop 10 meter wide green belt towards Shriram Nagar Colony

habitation area and follow guideline of DGMS then we have no problem from said stone mining project.

6. At the time of inspection Shri S.P. Dubey, Mine Foreman, representative of mining project has informed that stone blasting is conducted between 12:00 hrs to 14:00 hrs by taking all precautions as per guideline of DGMS. Stone blasting was carried out during inspection at 13:26 hrs. Ambient noise level was monitored by Regional Office, UPPCB, Sonbhadra during stone blasting time at a distance of about 100 meter away from blasting spot. Ambient noise level was found 100.7 dB(A). Blaster's report copy is annexed herewith and marked as **Annexure No.-2**.

<u>**Recommendations**</u> :-

1. Controlled blasting techniques with sequential blasting must always be adopted by project proponent.
2. The stone blasting activity should be carried out by project proponent in the day time (during fixed hours) only.
3. The project proponent should develop 10 meter wide green belt with fast growing plants towards Shriram Nagar Colony, Sector-9, Obra habitation site in time bound manner.

4. The project proponent should adopt guidelines regarding control of blasting projectiles as per Director General of Mines Safety, Govt. of India.
5. Regular monitoring of lease area should be ensured by local Mining Department/District Administration, Regional Office, UPPCB, Sonbhadra and DGMS Department etc for effective compliance of DGMS guidelines.
6. Training of personals engaged in blasting operation should be conducted by DGMS Department from time to time.
7. The regulations for danger zone prescribed by Director General of Mines Safety also have to be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.

Above factual report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

17/3/2023

**(Dr. S. C. Shukla)**
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Sonbhadra

17/3/23

**(Sahdev Kumar Mishra)**
ADM (F/R)
Sonbhadra

I 4138/16 (106) Annexure 1

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977448

प्रपत्र एम०एम०–3

## खनन पट्टे का आदर्श (Model) प्रपत्र (नियम–14)

यह अनुबन्ध आज दिनांक: ...23·05·2016 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "राज्य–सरकार" कहा गया है, जिस पदावली में यदि सन्दर्भ से ऐसा ग्राह्य हो उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिती भी सम्मिलित समझे जायेंगे) एक पक्ष

और मै0 यथार्थ इण्टर प्राइजेज पा0–श्री आलोक कुमार सहाय पुत्र स्व0 श्रीनाथ सहाय, निवासी मकान नं0–4/115, वी0आई0पी0 रोड, ओबरा, जनपद–सोनभद्र (जिसे आगे "पट्टेदार" कहा गया है, जिस पदावली में यदि सन्दर्भ में ऐसा ग्राह्य हो, उसके दायाद, निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि भी सम्मिलित समझे जायेंगे) दूसरा पक्ष

.....2...

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

25000/ यथार्थ बिल्डर प्राइवेट लि० किल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार-सोनभद्र
20.5.2016

फीस पटल
9.2.99ccc

| फीस | उजरत | प्रतिलिपि | योग |
| --- | --- | --- | --- |
| 20000 | 150 | 200 | 20150 |

Alok Kumar Sahay

आज दिनांक 23.5.2016 ई० समय लगभग ... के मध्य में श्री आलोक कुमार सहाय पुत्र स्व० भोलानाथ सहाय निवासी मकान नं० 4/115 की बाईं ओर रोड स्ट्रेचर पर ... बाजार राबर्ट्सगंज जिला सोनभद्र हाल पता मकान नं० 4/115 की बाईं ओर रोड ... के अन्दर [illegible] दरवाजा ... कमरे में चारपाई पर बैठकर श्री आलोक कुमार सहाय पुत्र स्व० भोलानाथ सहाय ने वसीयत का निष्पादन स्वीकार किया। गवाह प्रथम पक्ष / व श्री ... गवाह द्वितीय पक्ष (सोनभद्र ...) उप निबंधक

23.5.2016

Alok Kumar Sahay

मनोज कुमार [illegible]

उपेन्द्र कुमार 274

[illegible] पहचान किये गये हैं

23.5.16

(16)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार सं०-5

Rs. 25000

पच्चीस हजार रूपये

सोनभद्र

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977449

(2)

चूँकि पट्टेदार ने उत्तर प्रदेश उपखनिज(परिहार) नियमावली **1963** जिसे आगे **"उक्त नियमावली"** कहा गया है के अनुसार राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुसूची के भाग–1 में वर्णित भूमि **7–56 एकड़** के निमित्त खनन पट्टे के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और उसने राज्य सरकार के पास **रू0 2,26,800--00** (दो लाख छब्बीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) की धनराशि प्रतिभूति के रूप में तथा **रू0 10,000–00** (दस हजार रूपये) की धनराशि खनन पट्टे के प्रारम्भिक व्ययों की पूर्ति के लिए जमा कर दी है।

यह इस बात का साक्ष्य है कि उपस्थापन पत्र और निम्नलिखित अनुसूची द्वारा रक्षित और उनमें दिये गये और पट्टेदार की ओर से भुगतान किये जाने वाले पालन और सम्पादन किये जाने वाले, किरायों स्वामित्वों, प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के प्रतिफल में राज्य सरकार एतदद्वारा पट्टेदार को निम्नलिखित

.......3....

Alok Kumar Sahay

**खान अधिकारी**
**सोनभद्र**

**जिलाधिकारी**
**सोनभद्र**

25000) यथार्थ बुल्डर एण्ड जेजे सा० बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
20-5-2016

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

12

16

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार
सं0 ...
25000
पच्चीस हजार रुपये
सोनभद्र

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977450

(3)

प्रदान और पट्टान्तरित करती है। **गिट्टी/बोल्डर(डोलो स्टोन)** (जिन्हें आगे अभिदिष्ट अनुसूची में "उक्त खनिज" कहा गया है की समस्त खाने, तल्प(Beds), संदरसीम्स(Viens) जो अनुसूची के भाग–1 में अभिदिष्ट भूमि में या उसके नीचे स्थित हो, पड़ी हो या हों, उन स्वतन्त्रताओं या अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के साथ जिनको इसके सम्बन्ध में, उन निबंधनों तथा शर्तो के अधीन रहते हुए प्रयोग या उपयोग किया जायेगा, जो ऐसी स्वतन्त्रताओं, अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के प्रयोग तथा उपयोग करने के बारे में हो **गिट्टी/बोल्डर(डोलो स्टोन)** सिवाय इसके और इसमें से आरक्षित उक्त नियमावली में उल्लिखित स्वतन्त्रतायें, अधिकार तथा विशेषाधिकार राज्य सरकार में पट्टान्तरित हो जायेंगे।

इस उपस्थापन पत्र के निष्पादन होने के दिनांक से **दस वर्ष** (दिनांक 23.05.2016 से दिनांक 22.05.2026 तक) की आगामी अवधि के लिए पट्टेदार को एतद्द्वारा दिये और पट्टान्तरित ऐसे भू–गृहादि धारण करना, जिसमें खनिज निकलने लगे और राज्य सरकार को उक्त अनुसूची के **भाग–2** में उल्लिखित कई किरायों और स्वामित्वों का भुगतान उसमें विनिर्दिष्ट भिन्न–भिन्न समयों पर होने लगे किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा उक्त भाग में उपबन्धों के अधीन हो, और, पट्टेदार एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ प्रसंविदा करता है और राज्य सरकार एतद्द्वारा पट्टेदार के साथ प्रसंविदा करती है जैसा कि उक्त नियमावली में अभिव्यक्त है, और, एतद्द्वारा इसके साथ दिये गये पक्षों के बीच में परस्पर सहमत हुआ है और जैसा कि उक्त अनुसूची के **भाग–3** में अभिव्यक्त है।

.....4...

**खान अधिकारी**
**सोनभद्र**

जिलाधिकारी
सोनभद्र

Alok Kumar Sahay

25009 यथार्थ इण्टर प्राइजेज सा० दिल्ली मारफुष्ठी सो० न० ३६४

सुरेश शेखड़िया
स्टाम्प वेंडर
...-5-2016

नि... ...
...

(165)

14

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार
सं०-69
25000
25 MAY 2016
पच्चीस हजार रुपये
सोनभद्र

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977451

(4)

**उपर अभिदिष्ट अनुसूची**
**भाग-1**
**इस पट्टे का क्षेत्रफल**

**पट्टे का क्षेत्रफल और स्थान-** वह समस्त भू-खण्ड जो जनपद-सोनभद्र, तहसील-रावर्ट्सगंज स्थित **ग्राम-बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या-5463, 5465, 5466, 5467क, 5552ख में 7.56 एकड़** है जो इसके साथ संलग्न नक्शे में चिन्हित है और इसे लाल रंग से रंगीन (Colour) किया गया है और जिसकी सीमायें एवं परिमाप निम्नलिखित है:-

सीमायें (चौहद्दी):

उत्तर : सीमाबंधित सीमास्तम्भ A, B, C व D तत्पश्चात आ0सं0-5521, 5522, 5529, 5530, 5531 व 5535 आदि काश्त भूमि।

दक्षिण : सीमाबंधित सीमास्तम्भ G, H, I, J, K, L, M, N, O, P व Q तत्पश्चात आ0सं0-5450, 5452, 5464, 5461, 5462 आदि काश्त भूमि।

पूरब : सीमाबंधित सीमास्तम्भ D, E, F व G तत्पश्चात आ0सं0-5461 व 5469 आदि काश्त भूमि।

पश्चिम : सीमाबंधित सीमास्तम्भ A, R व Q तत्पश्चात आ0सं0-5558, 5556, 5554 आदि काश्त भूमि।

परिमाप- **A B C D E F G H I J K L M N O P Q R A** रकबा-7.56 एकड़ एतद्पश्चात् जिसे **"उक्त भूखण्ड"** कहा गया है।

......5...

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

२५०००। यथार्थ इन्टरप्राइजेज सा० दिल्ली मारफत सो भ.

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोमपा

२०-5-२०16

(1.2)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार
Rs. 25000
पच्चीस हजार रुपये
सोनभद्र

Rs.
25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977452

(5)

**भाग–2**

1. इस पट्टे द्वारा आरक्षित अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व, जो इनमें से अधिक हो, का भुगतान करना :–

पट्टेदार पट्टे के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक खनिज गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) के सम्बन्ध में, इस भाग के खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट अपरिहार्य भाटक का वार्षिक भुगतान करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व, जो धनराशि इसमें से अधिक हो, का देनदार होगा, किन्तु दोनों का नहीं।

2. पट्टा धनराशि की दर और उसको भुगतान करने की रीति–

इस भाग के खण्ड (1) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए पट्टे की अवधि में पट्टेदार राज्य सरकार को इस अनुसूची के भाग–1 में वर्णित और पट्टान्तरित **(Demised)** भूमि के प्रति खनिज प्रति एकड़ वार्षिक अपरिहार्य भाटक निम्नलिखित दर पर या ऐसी संशोधित दर पर भुगतान करेगा, जो पट्टेदार को राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप से संसूचित किया जायेगा।

| खनिज का नाम | प्रति एकड़ निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक | पट्टान्तरित भूमि का क्षेत्रफल | कुल देय अपरिहार्य भाटक | एक वर्ष में देय कुल अपरिहार्य भाटक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) | रू0 1,20,000.00 | 7.56 एकड़ | रू0 90,72,000.00 | रू0 9,07,200.00 |

अपरिहार्य भाटक का राज्य सरकार के प्रति भुगतान पट्टावर्ष के पूरा होने के एक माह के भीतर जनपद–सोनभद्र के मुख्यालय के राजकीय कोषागार अथवा तदर्थ

......6...

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

25000। फर्मार्थ इन्फ्रा ब्राइजेज सा० दिल्ली मारफुक्की सोन।

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
20-5-2016

(101)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार
सं0-69
20 MAY 2010
पच्चीस हजार रुपये
सोनभद्र

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977453

(6)

प्राधिकृत बैंक की शाखा (जैसा कि समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय) में खनिज के निर्धारित लेखा शीर्षक "0853, अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग" में जमा किया जायेगा।

3. **स्वामित्व की दर और उसके भुगतान की रीति :-**

इस भाग के खण्ड (1) के नियमों के अधीन रहते हुए पट्टेदार पट्टे की अवधि में राज्य सरकार को ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार विहित करे, पट्टे पर दिये हुए क्षेत्र से उसके द्वारा हटाये गये गिट्टी/बोल्डर के संबन्ध मे उक्त नियमावली की प्रथम अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट दर पर स्वामित्व का भुगतान करेगा।

4. **अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व कटौती आदि से मुक्त होंगे:-** इस भाग में उल्लिखित अपरिहार्य भाटक और स्वामित्व का भुगतान बिना किसी कटौती के राज्य सरकार को नियत दर पर और ऐसी रीति से किया जायेगा, जो राज्य सरकार विहित करे।

5. **स्वामित्व के संगणन की रीति**

उक्त स्वामित्वों के संगणन करने के प्रयोजनो के लिए पट्टेदार खान से संग्रह किये गये खनिज/खनिजों का और उसको भेजने की रीति का सही–सही लेखा रखेगा, जिसमें वह परिवहन की प्रणाली, वाहन की निर्बन्धन संख्या, वाहन के प्रभारी व्यक्ति, **वाहन द्वारा परिवहन किये गये खनिज का विवरण और परिमाण का उल्लेख** करेगा, जो **एम0एम0–11** में पास जारी करेगा और ऐसे अन्य विवरणों का उल्लेख करेगा जो राज्य सरकार सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें। नियम 66 के अधीन अधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें राज्य सरकार नियमावली के अधीन समय–समय पर प्राधिकृत करें, स्टाक में रखे गये और निर्यात किये जाने

.....7...

Alok Kumar Sahai

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

25000 यथार्थ इष्टर प्राइवेज सा० दिल्ली मारफत श्री सोनपाल

20-5-2016

(1'ö)

20

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार सं0-69

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सोनभद्र

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977454

(7)

वाले या प्रपत्र एम0एम0–11 में उल्लिखित खनिज के लेखा उसके परिमाण का जॉच कर सकता है। पट्टेदार प्रतिवर्ष जिलाधिकारी और भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ववर्ती तिमाही के पन्द्रह दिनों के भीतर जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल में प्रपत्र एम0एम0–12 में तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा और यदि विवरणी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है तो पट्टेदार चूक के प्रत्येक अवसर पर रू0 2,000.00 (रूपया दो हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान करेगा ।

6. प्रपत्र एम0एम0–11 का भुगतान के आधार पर दिया जाना :–

पट्टेदार जिलाधिकारी के कार्यालय से प्रपत्र एम0एम0–11 की पुस्तिका, जैसा कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 70(1) में अपेक्षित है, छपाई मुल्य का भुगतान करने पर प्राप्त करेगा।

7. नियत समय पर अपरिहार्य भाटक, स्वामित्व आदि का भुगतान न करने पर कार्यवाही–

यदि पट्टेदार द्वारा इस उपस्थान पत्र के निबंधनों और शर्तो के अधीन किसी अपरिहार्य भाटक, स्वामित्व या राज्य सरकार को देय किसी अन्य धनराशि का भुगतान विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो वह ऐसे अधिकारी के प्रमाण–पत्र पर, जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, उसी प्रकार से वसूल की जा सकेगी जिस प्रकार से मालगुजारी का बकाया वसूल की जाती है।

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

.....8....

250000 यथार्थ बुल्डर प्रा० लि० [illegible] मारफत सो [illegible]

[illegible] 5.2.16

22

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार
सं 8-69

Rs.
25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सोनभद्र

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 977455



## भाग–3
## सामान्य उपबन्ध

1. **नियमों, प्रसंविदाओं और शर्तो को भंग करने पर पट्टा समाप्त किया जा सकता है**

यदि पट्टेदार उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के किसी नियम या इस पट्टे की किसी प्रसंविदा और शर्त/शर्तों को भंग करें तो राज्य सरकार पट्टा समाप्त कर सकती है और प्रतिभूति जमा को पूर्णतः या अंशतः जब्त कर सकती है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि पट्टा समाप्त किये जाने के पूर्व पट्टेदार को उक्त शर्त भंग करने का स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा।

यदि पट्टेदार यथास्थिति, इस नियमावली या इस पट्टे के अधीन किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध है तो वह इस नियमावली के नियम 77 और 78 के अधीन अपील/पुनरीक्षण दायर कर सकता है।

2. **पट्टेदार पट्टे की समाप्ति पर अपनी सम्पत्तियों को हटायेगा :–**

पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र (प्रजेन्टेशन) के आधार पर देय किराये और स्वामित्वों का पहले भुगतान और उन्मोचन कर चुकने पर, उक्त अवधि की समाप्ति पर या उसके शीघ्रतर समाप्ति पर या तत्पश्चात तीन कलेण्डर मास के भीतर (जबतक पट्टा इस भाग के खण्ड–1 के अधीन समाप्त न कर दिया जाय और उस दशा में किसी समय ऐसी समाप्ति के पश्चात् कम से कम एक कलेण्डर मास में और अधिक से अधिक तीन कलेण्डर मास में) अपने लाभ के लिए ऐसे सभी या किसी इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन संरचनाओं और अन्य निर्माण कार्य, परिनिर्माण(एरेक्शन्स) और अस्थायी

.....9...

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

25000) यथार्थ इन्टरप्राइजेज सा० बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
20.5.2016

(128)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

25000 पच्चीस हजार रुपये

कोषागार सोनभद्र MAY 2016

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977456

(9)

आवास स्थानों को उखाड़ सकता है/सकते है और हटा सकता है, जो उक्त भूमि में या उसपर पट्टेदार द्वारा खनन किया गया हो, खड़े किये गये हो, स्थापित किये गये हो या रखे गये हो और जिन्हे पट्टेदार, राज्य सरकार को देने के लिए बाध्य नहीं है और जिन्हें राज्य सरकार खरीदने के लिए इच्छुक न हो।

3. **पट्टे की समाप्ति के पश्चात् तीन मास के अधिक समय तक छोड़ी गयी <u>सम्पत्ति की जब्ती:</u>**

यदि उक्त अवधि की समाप्ति या उसके शीघ्रतर समाप्ति के पश्चात, तीन कलेण्डर मास के अन्त में, उक्त भूमि में या उस पर कोई इंजन, मशीन, संयंत्र, भवन, संरचनायें तथा अन्य निमार्ण कार्य, परिनिर्माण और अस्थायी आवास–स्थान या अन्य सम्पत्ति रहे तो उनके संबंध में, यदि वे ऐसे लिखित नोटिस देने के पश्चात जिसमें जिलाधिकारी द्वारा पट्टेदार से उन्हें हटाने की अपेक्षा की गयी हो, एक कलेण्डर मास के भीतर पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा न हटाये जाए तो यह समझा जाऐगा कि वे राज्य सरकार की सम्पत्ति हो गयी है और किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना या उसके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों को कोई हिसाब दिए बिना, उनकी बिक्री करके निस्तारण ऐसे रीति से किया जा सकता है, जो राज्य सरकार उचित समझे।

4. **<u>ठेकेदार के माध्यम से स्वामित्व एवं अपरिहार्य भाटक की वसूली करना:–</u>**

यदि राज्य सरकार इस प्रकार निर्देश दे, तो पट्टेदार इस उपस्थापन पत्र द्वारा संरक्षित स्वामित्वों और अपरिहार्य भाटक का भुगतान स्वामित्व की वसूली करने वाले ठेकेदार को राज्य सरकार द्वारा नियत रीति से ऐसी अवधियों में करेगा, जो विनिर्दिष्ट की जाय।

.....10...

खान अधिकारी सोनभद्र

जिलाधिकारी सोनभद्र

25000/- यथार्थ इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा० लि० मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
20-5-2016

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार

20 MAY 2016

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977457

(10)

5. <u>नोटिसें :–</u> इस उपस्थापन पत्र द्वारा पट्टेदार को दिये जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक नोटिस उक्त भूमि पर रहने वाले ऐसे व्यक्ति को लिखित रूप में दिया जायेगा, जिसे पट्टेदार ऐसी नोटिस प्राप्त करने के लिए नियुक्त करे और यदि इस प्रकार कोई नियुक्ति न की गयी हो ऐसी प्रत्येक नोटिस पट्टेदार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा पट्टे में उसके अभिलिखित पते पर या भारत में ऐसे अन्य पते पर भेजी जायेगी, जिसे पट्टेदार समय–समय पर लिखित रूप में राज्य सरकार को नोटिसों को प्राप्त करने के लिए दे और प्रत्येक ऐसी तामील पट्टेदार पर उचित और वैध तामील समझी जायेगी और उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा न तो आपत्ति की जायेगी और न उसे चुनौती दी जा सकेगी।

.......11...

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

25000/ यथार्थ बुल्डर प्राइवेज सा0 बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र

22-5-2016

(156)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार सं...

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977458

(11)

## अतिरिक्त शर्ते

1. प्रत्येक वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक से रायल्टी की धनराशि अधिक होने पर रायल्टी की धनराशि (जो उक्त क्षेत्र से पट्टा धारक द्वारा खनन कर निकासी की गई खनिज की मात्रा पर देय होती है) देय होगीं तथा रायल्टी व वार्षिक अपरिहार्य भाटक की धनराशि समय–समय पर पुनरीक्षित दरों के आधार पर देय होगीं।
2. पर्यावरण के संरक्षण हेतु पट्टाधारक को उचित प्रबंध करना होगा।
3. पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित/अनुमोदित खनिज मात्रा के अनुसार खनन किया जायेगा।
4. शासनादेश संख्या–1040/86–2014–127/2011 दिनांक 10.04.2014 द्वारा दिये गये निर्देश कि "यदि पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति में उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा का खनन एवं परिवहन पट्टा की राय में किया जाना आवश्यक है, तब उसे अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रस्तर–2 के प्राविधानों के अनुसार ऐसी अतिरिक्त मात्रा के लिए सम्बन्धित नियामक प्राधिकारी से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति पुनः प्राप्त करनी होगी।
5. खनन योजना के अनुसार पर्यावरण एवं परिस्थितिकी को ध्यान में रखकर स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य किय जायेगा।
6. पट्टाधारक द्वारा उनके पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से खनन कर निकासी किये गये खनिज का परिवहन सिर्फ जिला क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र द्वारा जारी प्रपत्र एम0एम0–11 द्वारा ही किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रपत्र का उपयोग किये जाने अथवा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन कार्य करते हुये पाये जाने एवं दोष सिद्ध होने पर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. पट्टाधारक नियमावली 1963 के नियम–73 के प्रावधानों के अन्तर्गत पूर्ववर्ती त्रैमास के संबंध में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में प्रपत्र एम0एम0–12 में जिलाधिकारी और निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा तथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करने में विफल होने पर रू0 2,000–00 की शास्ति का भागी होगा तथा पट्टाधारक की ऐसी चूक, खनन पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा।

.....12....

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

२५०००, यथार्थ बुक्स ब्राइजेज स किल्ली मारबुकी सो नभ

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोलापुर
20-5-2016

(153)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार सं०-07

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सोनभद्र

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977459

(12)

8. खनन कार्य करने के दौरान यदि कोई अन्य खनिज/उपखनिज प्राप्त होता है तो उसकी सूचना पट्टाधारक तत्काल जिला कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (उ0प्र0) के क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशालय को देगा।

9. ब्लास्टिंग का लाइसेंस प्राप्त किये बिना खनन कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग प्रतिबन्धित होगा।

10. पट्टाधारक नियमानुसार माइन्स मैनेजर, ब्लास्टिंग हेतु तकनीकी ब्लास्टर आदि की नियुक्ति करके विभाग को सूचित करेगा तथा माइन्स एक्ट, 1952 एवं मेटलीफेरस माइन्स रेगुलेशन, 1961 के अनुसार नियुक्त माइन्स मैनेजर, ब्लास्टर आदि के पर्यवेक्षण में कार्य करेगा तथा खान सुरक्षा महानिदेशालय के निर्देशों का पालन करेगा।

11. खनन कार्य कुशल कारीगरों द्वारा कराया जाना होगा तथा खनन संक्रियाओं में श्रमिकों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा उपकरण यथा–हेलमेट, जूता, चश्मा, मास्क, सेफ्टी बेल्ट आदि उपलब्ध कराये जाने होंगे।

12. पट्टाधारक को पट्टाकृत क्षेत्र में खनिज के समुचित विकास हेतु वैज्ञानिक ढंग से खनन कार्य करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा हेतु खनिज/उपखनिज का खनन व निकासी करने के उपरांत क्षेत्र का समतलीकरण कर वहाँ वृक्षारोपण करना होगा।

13. खनन पट्टा क्षेत्र के अन्दर बोल्डर के परिवहन हेतु ट्रैक्टर–ट्राली का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि इसके स्थान पर टीपर का प्रयोग करेगा।

14. स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत किसी काश्तकार/काश्तकारों के संक्रमणीय/असंक्रमणीय अधिकार वाली भूमि का कोई अंश पड़ने की दशा में ऐसे काश्तकार/काश्तकारों से लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही उनके अंश की भूमि में पट्टाधारक खनन कार्य प्रारम्भ करेगें।

15. खनन पट्टे पर प्रस्तावित एवं मौके पर उपलब्ध क्षेत्र में यदि कमी पायी जाती है तब मौके पर उपलब्ध क्षेत्र के लिए खनन पट्टा विलेख निष्पादित किया जायेगा।

16. स्वीकृत क्षेत्र में स्थायी सीमा स्तम्भ लगाने के बाद ही खनन कार्य करने की अनुमति दी जायेगी। स्वीकृत क्षेत्र में सीमा स्तम्भ एवं साइन बोर्ड, जिसमें पट्टे से सम्बन्धित अंकित विवरण पठनीय, तथ्यपरक, सुस्पष्ट होने चाहिए, जिसका अनुरक्षण पट्टाधारक करता रहेगा।

......13...

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

Alok Kumar Sahay

२5000 यथार्थ बुक्स प्राइवेज साव बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
20-5-2016

154

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार
सं0-69

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977460

(13)

17. खनन पट्टा स्वीकृति के पश्चात भविष्य में वन विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा शर्तो के विपरीत कार्य करने के कारण आपत्ति किये जाने पर उक्त नियमावली 1963 के नियम 60 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

18. पट्टाधारको को, क्षेत्र में आंकलित मात्रा के सापेक्ष ही प्रपत्र एम0एम0–11 की आपूर्ति की जायेगी।

19. पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र तक पहुँच मार्ग स्वयं के व्यय पर बनाया जायेगा। यदि खनिजों के परिवहन हेतु किसी काश्तकार की भूमि से होकर रास्ते का निर्माण किया जाता है तो सम्बन्धित काश्तकार की लिखित सहमति सम्बन्धी अभिलेख जिला क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रास्ते के निर्माण में होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

20. खनन स्थल से निकाले गये खनिज पदार्थ का अभिवहन वन विभाग की लिखित सहमति के बिना वन मार्ग से नहीं किया जायेगा।

21. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि के बाहर कोई अवैध खनन पाये जाने पर उक्त नियमावली 1963 के नियम 60 के अधीन युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात खनन पट्टा निरस्त किया जायेगा।

22. स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर किसी प्रतिबन्धित क्षेत्र(यदि कोई हो) में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। ऐसे प्रतिबन्धित क्षेत्र में खनन पाये जाने पर नियमानुसार खनन पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

......14...

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

२५०००) यथार्थ इण्टरप्राइजेज सा० पिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
20-5-2016

(153)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

कोषागार सं०-69
25000
पच्चीस हजार रुपये
सोनभद्र

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977461

(14)

स्टाम्प शुल्क-

दस वर्षो में देय कुल अपरिहार्य भाटक की धनराशि रू0 90,72,000.00 एवं प्रतिभूति के मद में जमा धनराशि रू0 2,26,800.00 पर देय स्टाम्प शुल्क की कुल धनराशि रू0 3,75,000–00 है।

.....15....

Manjkur Sahay

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

२5000) यथार्थ इलेक्ट्राइजेज सा० किल्ली मारबुंडी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
20-5-2016

(1.2)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

कोषागार

Rs. 25000

पच्चीस हजार रुपये

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 977462

(15)

इसके साक्ष्य के रूप में उपस्थापन पत्र एतदधीन आयी हुई रीति से उपर उल्लिखित दिन और वर्ष को निष्पादित किया गया है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से–

1. श्री आर० पी० सिंह खान अधिकारी सोनभद्र — खान अधिकारी सोनभद्र

2. श्री राजेश कुमार राय वरि० लिपिक — राजेश कुमार राय वरिष्ठ लिपिक

3.

की उपस्थिति में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा हस्ताक्षरित:– — जिलाधिकारी, सोनभद्र। (जिलाधिकारी सोनभद्र)

1. प्रद्युम्न कुमार सिंह S/o स्व० राम सेवक सिंह बिल्ली ओबरा सोनभद्र

2.

की उपस्थिति में पट्टेदार द्वारा हस्ताक्षरित :– — Alok Kur Sahay पट्टाधारक का हस्ताक्षर

25000) यथार्थ इण्टरप्राइजेज सा० बिल्ली मारकुण्डी सोनभद्र

मुख्य रोकड़िया
कोषागार-सोनभद्र
20-5-2016

(157)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

72AC 226125

गवाह

1. मनोज कुमार सिंह पुत्र कन्हैया सिंह
नि० कोठाटोला डाला सोनभद्र

मनोज कुमार सिंह

2. उपेन्द्र कुमार राय पुत्र श्री मंगला प्रसाद राय
नि० ग्राम चिलबिला (छतौली)
ओबरा सोनभद्र

उपेन्द्र कुमार राय

25000, यथार्थ तत्काल

102
23-5-16

25
25000

आज दिनांक 23/5/2016 को
बही सं- 1 खण्ड 1833 पृष्ठ 1/32 क्रमांक 4138

उप निबन्धक
राबर्ट्सगंज - सोनभद्र

भू-चित्र (आंशिक) ग्राम - बिल्ली मारकुण्डी
शीट-6, परगना - अगोरी, तहसील - राबर्ट्सगंज
जनपद - सोनभद्र माप - 16" = 1 मील सं0 - 1264-65ई0
तह0 सन् - 1358फ0

- मे0 पचापी स्टोन प्राइवेज पार्टनर श्री आलोक कुमार सहाय के पक्ष में स्वीकृत एवं सीमांकित क्षेत्र (ABCDEFGHIJKLMNOPQRA) ।

- विद्युत टावर से 50मी0 की परिधि के अन्तर्गत आने वाला खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र (QS+RQ)।

स्वीकृत क्षेत्र - आ0सं0 5463, 5465, 5466, 5467क, 5552ख ।
कुल रकबा 7.56 एकड़ ।

चौहद्दी - उत्तर - सीमांकित सीमास्तम्भ A, B, C तत्पश्चात आ0सं0 5521, 5522, 5529, 5530, 5531, 5535 आ
दक्षिण - सीमांकित सीमास्तम्भ G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q तत्पश्चात आ0सं0 5450, 5452, 5014, 5
पूरब - सीमांकित सीमास्तम्भ D, E, F, G तत्पश्चात आ0सं0 5461 व 5463 आदि का कृषि भूमि ।
पश्चिम - सीमांकित सीमास्तम्भ A, R व Q तत्पश्चात आ0सं0 5558, 5556, 5554 आदि का...

Alok Kumar Sahay

19/5/16
(वेदप्रकाश शुक्ला)
सर्वेक्षक

खान अधिकारी
सोनभद्र

जिलाधिकारी
सोनभद्र

Annexure 2

# MINES ACT 1952

Nellailiferous Mines Regultion 1961

Clause 169

## BLASTER'S REPORT BOOK

Name of Mine (खान का नाम) Yatharth Enterprises.

Nos of its or inclines Seams ..........

Date (तिथि) 14/03/2023 Shift (पाली)... General

| | Explosigve | | Detonate | Fuse |
|---|---|---|---|---|
| | Kind | Qty. | | |
| तादात विस्फोटक पदार्थ लिया- Quantity of Explosive taken- | Power Gel 90l | 32mm 40 kg | ED-4 CL-20 | 375 meters |
| तादात विस्फोटक पदार्थ उपयोग किया- Quantity of Explosive used- | Power Gel 90l | 40 kg | ED-4 CR-20 | 375 meters |
| तादात विस्फोटक पदार्थ वापिस लिया- Quantity of Explosive returned- | x | x | x | x |

Misfire, if any ........ Nil

No of Shorts fired including misfires....... 90 Holes.

Please where shorts where fired Yatharth Enterprises.

स्थान जहाँ विस्फोटक आग लगाई- Belli Markunali

Remarks (कैफियत)

Date दिनांक 14/03/2023 Time-1.26pm

Singed हस्ताक्षर...... [signature]

For cases in which the persons making the examination is unable to wril Regulation 189, Thumb marks of ..........

I the under signed, hereby certify that written the above report as directed be and in the presence of ..........

and have ready ove to him and he as made thumb mark

Signed..........

Manager [signature]

Date..........Time..........